

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :- 3/अ०प्र०-1-48/2019 708 /पटना, दिनांक : 10/4/23

श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के विरुद्ध कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 अन्तर्गत रत्नोपट्टी से दरभंगा बाईपास एन०एच०-57 भाया निमा बांध पथ निर्माण योजना में अनियमितता के लिये आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 865 अनु० दिनांक 01.04.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री शर्मा के पत्रांक-65 अनु० दिनांक 26.06.2019 से प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त स्वीकार्य योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-1047 सह-पठित ज्ञापांक-1048 अनु० दिनांक 08.06.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत श्री शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 9745 अनु० दिनांक 08.12.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री शर्मा के विरुद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का समेकित निष्कर्ष संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में इस पर मुख्य अभियंता-1 का मंतव्य प्राप्त किया गया। श्री शर्मा के विरुद्ध गठित आरोप संख्या-1 यथा जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित बांध पर पथ निर्माण किये जाने हेतु No objection certificate अप्राप्त रहने के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष पर मुख्य अभियंता-1 द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि DPR के साथ संलग्न चेकलिस्ट में भी जल संसाधन का बाँध होने का उल्लेख किया गया है। कार्य प्रारंभ होने के पूर्व जल संसाधन विभाग से NOC प्राप्त करने की कार्रवाई प्रमंडल स्तर से की गयी है। जाँच के समय एकरारनामा भी नहीं किया गया है, अतएव इस संबंध में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को स्वीकार किया जा सकता है। आरोप संख्या-2 यथा पथ कार्य हेतु संवेदक से एकरारनामा नहीं किये जाने के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष पर मुख्य अभियंता-1 द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि एकरारनामा करने का दायित्व कार्यपालक अभियंता का होता है, अतएव इस संबंध में सहायक अभियंता के स्पष्टीकरण पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को स्वीकार किया जा सकता है। श्री शर्मा के विरुद्ध गठित आरोप संख्या-3 यथा तैयार किये गये डी०पी०आर० में पूर्व से किये हुए मिट्टी कार्य एवं जी०एस०बी० की मात्रा नहीं घटाने के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष पर मुख्य अभियंता-1 द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि स्थल निरीक्षण के समय स्थल पर जल संसाधन विभाग द्वारा मिट्टी एवं GSB कार्य कराया हुआ पाया गया। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आवंटित पथ का एकरारनामा नहीं किया गया है। स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है अतएव कोई वित्तीय क्षति का मामला भी नहीं है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सहायक अभियंता द्वारा नियमानुकूल स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें मिट्टी एवं GSB कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा किया हुआ पाया गया, जिसकी सूचना सहायक अभियंता के पत्रांक 18 दिनांक 14.03.2019 द्वारा कार्यपालक अभियंता को दी गयी, जिसमें प्राक्कलन में सुधार का सुझाव दिया गया है। अतएव सहायक अभियंता द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की गयी है। अतः इस संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य को स्वीकार किया जा सकता है। आरोप संख्या-4 यथा पथ के शिलान्यास पट्ट पर माननीय विधायक श्री संजय सरावगी का नाम अंकित नहीं रहने के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष पर मुख्य अभियंता-1 द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि उक्त


पथ का 3.4 कि०मी० पथांश माननीय विधायक, श्री भोला यादव के क्षेत्र बहादुरपुर विधान सभा में पड़ता है, जिसका शिलान्यास एक छोर पर दिनांक 07.03.2019 को श्री भोला यादव, मा०स०वि०स० द्वारा किया गया। शेष 100 मीटर मात्र पथांश माननीय विधायक, श्री संजय सरावगी के विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें शिलान्यास करने की योजना बनाने के पूर्व ही दिनांक 10.03.2019 को आदर्श आचार संहिता लागू हो गया जिसके कारण शिलान्यास नहीं किया गया। अतएव इस संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार किया जा सकता है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले के समग्र समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मुख्य अभियंता-1 के मंतव्य से सहमति व्यक्त करते हुए श्री शर्मा को आरोप मुक्त करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है।

6. अतः उक्त के आलोक में श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भभुआ को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



3/4/2023
(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 3/अ०प्र०-1-48/2019

709

/पटना, दिनांक :- 10/4/23

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/सासाराम/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1/भभुआ/प्रशाखा पदाधिकारी-12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



3/4/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-1-48/2019

709

/पटना, दिनांक :- 10/4/23

प्रतिलिपि :- महालेखाकार(ले० एवं ह०) बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


3/4/2023
विशेष सचिव

4
आ. सं. म. ग. ल.